



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 492 राँची, शुक्रवार,

9 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2020

संख्या-03/मुकदमा-03-03/2017 का. 4708-- श्री राधाकृष्ण प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-319/03), सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No- 4013/2011 राधाकृष्ण प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2018 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

9. In view of the facts stated in the foregoing paragraph the writ petition deserves to be allowed with a direction to respondents to consider the case of the petitioner and take decision for grant of notional promotion as expeditiously as possible preferably within a period of 3 months from the date of communication/receipt of copy of this order.

10. With the aforesaid observations and directions, the writ petition stands disposed of.

2. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA संख्या 507/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 10.06.2020 को पारित न्यायादेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA को Dismiss कर दिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में विचारण हेतु दिनांक 24.08.2010 को प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें याचिकाकर्ता श्री राधाकृष्ण प्रसाद के साथ कुल 30 पदाधिकारियों के संबंध में प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा पर दिनांक 25.08.2010 को महामहिम झारखण्ड राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. तत्समय कतिपय कारणों से उक्त अनुमोदन के उपरांत प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत नहीं की जा सकी। प्रोन्नति हेतु अनुशंसित कतिपय पदाधिकारियों के द्वारा अधिसूचना निर्गत करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No-5545/2011 नरेश प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड में दिनांक 18.04.2011 को पारित अंतरिम न्यायादेश तथा निर्वाचित सरकार के गठन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत प्रोन्नति की अधिसूचना ज्ञाप संख्या 3313 दिनांक 18.06.2011 को निर्गत की गई है।

5. उक्त अधिसूचना निर्गत किये जाने से पूर्व श्री राधाकृष्ण प्रसाद दिनांक 31.05.2011 को सेवानिवृत्त हो गये थे। अतः इनके सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 18.06.2011 को निर्गत अधिसूचना के द्वारा इन्हें संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति नहीं प्रदान की जा सकी।

6. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No- 4013/2011 राधाकृष्ण प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.05.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राधाकृष्ण प्रसाद, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 319/03) को दिनांक 25.08.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

7. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 3795/2003 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
